


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश

क्रमांक C/8079 /
II-13-31/24

जबलपुर, दिनांक 23 / 11 / 2024

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री रविन्द्र पाटिल, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की मृत्यु दिनांक 05/03/2024 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 197 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्रीमती पुष्पा रविन्द्र पाटिल पति स्वर्गीय रविन्द्र पाटिल, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक..... C/8080 /

जबलपुर, दिनांक 23 / 11 / 2024


II-13-31/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 5037/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 19/09/2024 के संदर्भ में स्वर्गीय श्री रविन्द्र पाटिल वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का गणना पत्रक, मृत्यु प्रमाण पत्र मूलतः एवं अवकाश लेखा मूलतः, श्रीमती पुष्पा रविन्द्र पाटिल पत्नी स्व. श्री रविन्द्र पाटिल, वाहन चालक का आवेदन पत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :-अवकाश लेखा।

2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)